

UDID Disability Certificate & Appeal Pack

दस्तावेज़ प्रकार : लाइसेंस / वैधानिक फाइलिंग · तैयार किया गया 15 Oct 2026

यह गाइड बताती है कि यह टूल क्या बनाता है, उसका उपयोग कैसे करें, और किन बातों का ध्यान रखें। टूल का वास्तविक आउटपुट (ड्राफ्ट/रिपोर्ट) टूल पेज पर बनता है।

पृष्ठभूमि

UDID (Unique Disability ID) व दिव्यांगता प्रमाणपत्र आवेदन — स्थिति को सही श्रेणी व आकलन-दिशानिर्देशों से मिलाना, चिकित्सा दस्तावेज़ जुटाना, और गलत प्रतिशत पर अपील का प्रारूपण — यह टूल तैयार करता है ताकि प्रतिशत से जुड़े लाभ न छूटें।

इस टूल और आउटपुट का उद्देश्य

स्थिति को सही RPwD श्रेणी व आकलन-मानदंड से मिलाकर, चिकित्सा-दस्तावेज़ व UDID आवेदन (या पुनर्आकलन अपील) तैयार करना।

आउटपुट का उपयोग कैसे करें

श्रेणी-मिलान, चिकित्सा-दस्तावेज़ सूची व आवेदन-सामग्री का उपयोग UDID पोर्टल पर UDID व दिव्यांगता प्रमाणपत्र हेतु आवेदन करने, चिकित्सा-बोर्ड आकलन में उपस्थित होने, और प्रतिशत गलत होने पर तैयार अपील दाखिल करने के लिए करें।

यह किसे दिया जाता है

मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) / ज़िला अस्पताल की अधिसूचित चिकित्सा-बोर्ड, UDID पोर्टल (swavlambancard.gov.in) के माध्यम से।

कैसे जमा करें / दाखिल करें

UDID पोर्टल पर चिकित्सा-इतिहास व रिपोर्ट सहित ऑनलाइन आवेदन करें, प्रमाणपत्र व प्रतिशत हेतु चिकित्सा-बोर्ड आकलन में उपस्थित हों, और प्रतिशत कम आँके जाने पर पुनर्आकलन हेतु प्रस्तुतीकरण दाखिल करें।

शुल्क और खर्च

UDID/प्रमाणपत्र हेतु कोई सरकारी शुल्क नहीं; कोई चिकित्सा रिपोर्ट/जाँच का अपना खर्च हो सकता है।

इसकी जाँच किससे कराएँ

चिकित्सा-दस्तावेज़ीकरण हेतु उपचार-विशेषज्ञ; अपील विवादित होने पर ही दिव्यांगता-अधिकार वकील।

महत्वपूर्ण सावधानियाँ

आँका प्रतिशत लाभों व 40 प्रतिशत बेंचमार्क को नियंत्रित करता है, अतः गलत आकलन मानदंड-सहित अपील योग्य; सही RPwD श्रेणी से मिलान महत्वपूर्ण। CMO/चिकित्सा-बोर्ड से सत्यापित करें।

साथ के दस्तावेज़

इस टूल के लिए पोर्टल पर संबंधित दस्तावेज़ सूचीबद्ध नहीं हैं।

यह एआई-सहायित मार्गदर्शन है। किसी भी बाध्यकारी निर्णय से पहले योग्य पेशेवर से पुष्टि करें। शुल्क, प्राधिकरण और प्रक्रियाएँ राज्य और समय के अनुसार बदलती हैं — अपने राज्य के प्राधिकरण से सत्यापित करें।